**संख्या-672/2021/3089/41-2021-01(बजट)/2018**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर, 2021**

**विषयः- जनपद- उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी मंदिर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य हेतु पंचम वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1729/6-1-1/(02)/मु0मं0घो0/2018-19 दिनांक 03 अगस्त 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद- उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी मंदिर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-127/2018/2496/41-2018-01(बजट)/2018 दिनांक 31 जुलाई 2019 द्वारा रू0 529.90 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-211.96 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। तदनन्तर शासनादेश सं0-280/2019/3245/41-2019 -01(बजट)/2018 दिनांक 20-12-19 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-100.00 लाख एवं शासनादेश सं0-219/2021/149/41-2021 -01(बजट)/2018 दिनांक 15 मार्च 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0-105.98 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स आदि प्रेषित करते हुये प्रायोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग की गई थी। प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त परियोजना पर शासनादेश सं0-467/2021/2241/41-2021-01(बजट)/2018 दिनांक 28-09-21 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0-14.**62** लाख की धनराशि अवमुक्त की गई । प्रकरण में विशेष सचिव , पर्यटन द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण टिप्पणी एवं शासनादेश सं0-1850/41-2021-73(बजट)/2020 दिनांक 29-6-2021 द्वारा अपेक्षित सूचना /अभिलेखों को नहीं उपलब्ध कराया गया था। उक्त के क्रम में शासन के पत्रांक-2018/41-2021-01(बजट)/2018 दिनांक 28-9-21 द्वारा महानिदेशक पयटन से अपेक्षित आख्या मांगी गई एवं उक्त के साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी लखनऊ को पत्रांक-2018(2)/41-2021-01(बजट)/2018 दिनांक 28-9-21 से नियमानुसार स्पष्टीकरण मांगा गया। तत्क्रम में श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी लखनऊ द्वारा पत्रांक- 1085/मा0मु0घो0-उन्नाव/2021 दिनांक 07-10-21 के माध्यम से स्पष्टीकरण सहित प्रकरण में संगत अभिलेख एवं आख्या उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया है कि प्रकरण में मिट्टी भरान हेतु मांगी जा रही धनराशि के संबंध में यद्यपि जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति की प्रति उपलब्ध करायी गई है परन्तु उक्त समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा क्या आदेश दिया गया यह नहीं अवगत कराया गया है। रायल्टी दर को जिलाधिकारी द्वारा शून्य किये जाने के क्रम में किसी प्रकार का अनुबन्ध कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाना किस प्रकार से तार्किक है यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः इस संबंध में मिट्टी भरान की थर्ड पार्टी से जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत चालू प्रायोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पंचम किश्त के रूप में **रू0-14.61 लाख (रूपये चौदह लाख इकसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है कि चतुर्थ एवं पंचम किश्त के रूप में अवमुक्त की

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि का तिथिवार व्यय विवरण एवं इन्वायस की प्रति सक्षम स्तर से प्रमाणित कर उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्रायोजना की उपयुक्त अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इस संबंध में अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध निम्नवत् है:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-127/2018/2496/41-2018-01(बजट)/2018 दिनांक 31 जुलाई 2019 शासनादेश सं0-280/2019/3245/41-2019 -01(बजट)/2018 दिनांक 20-12-19 ,शासनादेश सं0-219/2021/149/41-2021 -01(बजट)/2018 दिनांक 15 मार्च 2021 एवं शासनादेश सं0-467/2021/2241/41-2021 -01(बजट)/2018 दिनांक 28-9-2021में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

**<u>संख्या- 672/2021/3089/41-2021-01(बजट)/2018 तद्दिनॉक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- श्री दिनेश कुमार उपनिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक , उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, यूनिट-8 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।